



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: PLEXHO/Cir/76

दिनांक: 21.04.2026

सेवा में,

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य/ सीओए सदस्य

महोदय/महोदया,

विषय: मिस्र और जॉर्डन को राहत के अंतर्गत शामिल करने के लिए अधिसूचना संख्या 65/2025-26 में संशोधन

संदर्भ: डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 11/2026-27 दिनांक 17 अप्रैल 2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन एवं रसद हस्तक्षेप (आरईआईएफ) से संबंधित अधिसूचना संख्या 65/2025-26 में संशोधन के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है।

पहले से अधिसूचित देशों के अलावा, लगातार जारी लॉजिस्टिक्स व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों को समर्थन देने के लिए, डिलीवरी या ट्रांसशिपमेंट के लिए भेजे जाने वाले शिपमेंट के संबंध में, **मिस्र और जॉर्डन को भी ईपीएम रिलीफ के तहत शामिल किया गया है।**

दिनांक 19.03.2026 की अधिसूचना संख्या 65/2025-26 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे विस्तृत परिपत्र यहां देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202604201230_42.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर,
भारती परवे
, उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
, प्लेक्सकॉन्सिल